

कार्यालय, प्रमुख वन संरक्षक, HoFF उत्तराखण्ड, देहरादून
 वनादेश सं० 69 / 1-13(13) (HRD) देहरादून दिनांक, 06 अप्रैल 2022

पदोन्नति/तैनाती आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक 188(H.R.D.)/1-12(एच०आर०डी०) दिनांक 28-07-2021 द्वारा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति समिति का गठन किया गया। पदोन्नति समिति की दिनांक 09-08-2021 को बैठक आयोजित की गयी। पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर वर्तमान में उत्पन्न रिक्त के सापेक्ष निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 47600-151100 लेवल-8 को मुख्य प्रशासनिक अधिकारी वेतनमान रू० 56100-177500 लेवल-10 के पद पर कालम-4 के अनुसार कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत की जाती है :-

क्र० सं०	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यालय जिसमें कार्यरत हैं	पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि
1	2	3	4
1	श्रीमती दुर्गा जोशी	वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी	01, अप्रैल, 2022

1. पदोन्नत अधिकारी द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो कार्मिक के विरुद्ध उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग (Forgo) नियमावली, 2020 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
2. संबंधित अधिकारी पदोन्नति प्रभावी होने की तिथि के दो सप्ताह के अन्तर्गत अपने वर्तमान तैनाती कार्यालय में ही पदोन्नति पर योगदान देना सुनिश्चित करें, यदि निर्धारित तिथि तक पदोन्नति/तैनाती स्थल पर योगदान नहीं दिया जाता है तो संबंधित अधिकारी का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त समझा जाएगा तथा कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति कर दी जायेगी।
3. यदि अधिकारी द्वारा पदोन्नति स्वीकार नहीं की जा रही हो तो अधिकारी से लिखित रूप में इस आशय का पत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित करें।
4. अधिकारी की पदोन्नति पर योगदान करने संबंधी सूचना इस कार्यालय व मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक प्रबंधन, उत्तराखण्ड, देहरादून को अधिकारी के योगदान देने के तत्काल पश्चात अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये। आगामी स्थानान्तरण सत्र में संबंधित अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक अपने क्षेत्रांतर्गत कार्मिकों की रिक्तियों पर आवश्यकतानुसार नियमानुसार पृथक से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु स्वतंत्र होंगे।

(विनोद कुमार)
 प्रमुख वन संरक्षक
 उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्र सं० 1796(1)/1-13(13) (HRD) तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख संरक्षक, वन अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रबंधन, हल्द्वानी।
2. मुख्य वन संरक्षक, मानव संसाधन विकास एवं कार्मिक, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वन संरक्षक, अनुसंधान वृत्त, हल्द्वानी।
4. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. संबंधित अधिकारी द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
6. मु०व०सं०, निगरानी, मूल्यांकन, आई०टी० एवं आधुनिकीकरण देहरादून को विभागीय वेबसाईट में अपलोड हेतु।
7. अधिष्ठान/गार्ड बुक।

F.F.C
 प्रमुख वन संरक्षक
 उत्तराखण्ड, देहरादून

(विनोद कुमार)
 प्रमुख वन संरक्षक
 उत्तराखण्ड, देहरादून